सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

39 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

संख्या 556 राँची, मंगलवार,

21 जून, **2016** (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

10 जून, 2016

1. उपायुक्त, लोहरदगा का पत्रांक-335/पं0, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013, पत्रांक-744/गो0, दिनांक 28 जुलाई, 2015 एवं पत्रांक-301/स्था0, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-11792, दिनांक 10.12.2013 एवं पत्रांक-3008, दिनांक 1 अप्रैल, 2015

संख्या-5/आरोप-1-649/2014 का॰-4904--श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-732/03, गृह जिला- राँची), के विरूद्ध जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर कार्यावधि में उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-335/पं०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में श्री वर्मा के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

<u>आरोप-</u> निगरानी ब्यूरो, राँची थाना कांड सं०-25/10, दिनांक 29 जून, 2010 के प्राथमिक अभियुक्त श्री शंकर उराँव, पंचायत सेवक, प्रखण्ड-कुडू, लोहरदगा के विरूद्ध ट्रैप कांड के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू ने दिनांक 3 जुलाई, 2010 को प्रतिवेदित किया कि दिनांक 2 जुलाई, 2010 को मनरेगा योजना में रिश्वत लेने के क्रम में, निगरानी द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के फलस्वरूप श्री उराँव को जेल भेज दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में जिला स्थापना शाखा लोहरदगा के आदेश ज्ञापांक-119/स्था0, दिनांक 16 जुलाई, 2010 के द्वारा श्री उराँव को दिनांक 2 जुलाई, 2010 के प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन के पश्चात श्री उराँव के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु आदेश ज्ञापांक-301/स्था०, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्हें आदेश दिया गया कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12127/का०, दिनांक 17 जुलाई, 1979 में निर्धारित समय सीमा (90 दिनों) अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही का संचालन करते हुए निष्कर्ष/जाँच प्रतिवेदन सुपुर्द करेगें। लेकिन लगभग 9 माह बीत जाने के बाद भी विभागीय कार्यवाही निष्कर्ष प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी से अप्राप्त रहा। पुनः पत्रांक- 280/पं०, दिनांक 29 जुलाई, 2013 द्वारा पन्द्रह दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही का अंतिम निष्कर्ष प्रतिवेदन समर्पित करने का स्पष्ट आदेश दिया गया। फिर भी निष्कर्ष/जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में दायर वाद बी०ए० नं०-70/11 में दिनांक 4/13 मई, 2011 को पारित आदेश के आलोक में श्री शंकर उराँव जमानत पर जेल से बाहर आये और निलंबन से विमुक्ति हेतु आवेदन दिया। इस प्रकार, श्री वर्मा ने विभागीय कार्यवाही का संचालन ससमय प्रारम्भ नहीं कर उपायुक्त, लोहरदगा के आदेश की अवहेलना की है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-11792, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 द्वारा श्री वर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में पत्रांक-491/गो०, दिनांक 27 जून, 2016 एवं पत्रांक-1033, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री वर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3008, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-744/गो०, दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री वर्मा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया एवं प्रतिवेदित किया गया है कि

संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये जाने वाला पत्रांक-301/स्था०, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 एवं स्मार पत्रांक-280/स्था०, दिनांक 29 जुलाई, 2015 उनके पदस्थापन काल में ही श्री मिथिलेश कुमार वर्मा, लिपिक तथा श्री चन्द्रशेखर कुमार, लिपिक द्वारा प्राप्त किया गया था। उनके द्वारा संबंधित लिपिक को यह निदेश दिया गया था कि इसमें निगरानी जाँच होने तक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनका यह कथन सही नहीं है कि उक्त पत्रों की जानकारी नहीं थी।

श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लोहरदगा के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री शंकर उराँव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं करने का निर्णय स्वयं श्री वर्मा का था, जिसकी सूचना उपायुक्त, लोहरदगा को देनी चाहिए थी। लेकिन वैसा नहीं कर उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-301/स्था०, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 के आदेश का उल्लंघन किया गया, इस कारण विभागीय कार्यवाही श्री वर्मा के स्थानांतरण दिनांक 1 सितम्बर, 2013 तक प्रारंभ नहीं की जा सकी। इसके लिए श्री वर्मा दोषी हैं।

अतः श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा०प्र०से० के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी के दायित्वों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(1) के तहत् 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 556—50 ।